न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 160/2024

1. भाविनी गुप्ता पुत्री श्री प्रवीण गुप्ता, निवासी एच.एच. फार्म, चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, हाल निवासी 7/17, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली
2. रोहन गुप्ता पुत्र श्री प्रवीण गुप्ता, निवासी एच.एच. फार्म, चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, हाल निवासी 7/17, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली, जरिये मुख्त्यारेआम भाविनी गुप्ता पुत्री श्री प्रवीण गुप्ता ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. गौरव गुप्ता पुत्र श्री सुरेन्द्र गुप्ता, निवासी एच. एच. फार्म, चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. कनव गुप्ता पुत्र श्री गौरव गुप्ता निवासी एच.एच. फार्म, चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. मिहीर अग्रवाल पुत्र श्री सूरज अग्रवाल, निवासी एच. एच. फार्म, चक 1 दृ ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. वीना अग्रवाल पत्नी श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, निवासी एच.एच. फार्म, चक 1–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल. आर.एक्ट बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजवीर सिंह अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र सिंह भनौत अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या–1 ता 4
3. पैरोकार	अप्रार्थी – 5

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27.12.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110 111, 128 एल.आर. एक्ट पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कृ पि भूमि चक 8–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 4/51, 49 / 9, 89 / 86 व 92 / 86 में स्थित है। उक्त चारों खातों की जमाबन्दियों की प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र हैं। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 की कृपि भूमि है। प्रार्थीगण के रकबा स्थित चक 8–ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण का रकबा क्रमशः मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 21 ता 23, मुरब्बा नम्बर 36

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के किला नम्बर 21 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्थित है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 8–ए छोटी के खाता संख्या 63/55, 23/22, 40/45 व 15/45 की जमाबन्दियां संलग्न प्रार्थना पत्र हैं । प्रार्थीगण की कृषि भूमि स्थित मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 तथा इन मुरब्बों की उत्तर दिशा में स्थित अप्रार्थीगण के रकबा के मुरब्बा नम्बर क्रमशः 37, 36 व 35 की मध्य लाईन के सम्बन्ध में निशानदेही की बाबत काफी लम्बे समय से विवाद चला आ रहा है। मौके पर इन मुरब्बों के सीमांकन हेतु मुरब्बा लाईन पर लगे पत्थर विद्यमान नहीं हैं। प्रार्थीगण ने अपने रकबा स्थित मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 का सीमांकन करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 05.06.2024 को दो अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जिस पर दिनांक 28.06.2024 को हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट की गई कि, ... श्रीमान् जी, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सीमाज्ञान किए जाने वाले पत्थर आदि सम्बन्धि भी सहमति नहीं है। इस कारण वाद–विवाद की भी सम्भावना है। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण (खातेदार) उपस्थित नहीं मिले। मेरे द्वारा दूरभाष पर भी वार्ता की गई। अतः श्रीमान् जी, सीमाज्ञान किए जाने वाले पत्थर पर विवाद की स्थिति में कमेटी गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाना उचित है। सीमाज्ञान हेतु निर्धारित समय में सीमाज्ञान किये जाने हेतु कमेटी गठित कर उक्त प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु आदेश प्रदान किये जावें । "इसके उपरान्त प्रार्थीगण ने दिनांक 22.07.2024 को श्रीमान् जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष चक 8 दृ ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 की भूमि का सीमाज्ञान कमेटी गठित कर करवाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार (भू०अ०), श्रीगंगानगर के द्वारा कमेटी गठित की गई। इसके उपरान्त दिनांक 25.07.2024 को कमेटी द्वारा मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही की गई और इस सम्बन्ध में दैनिक डायरी दिनांक 25.07,2024 को भरी गई जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 37 के सरकारी पत्थर से जरीब (कि० नं० 21) चला कर मुरब्बा नम्बर 36 व 35 पर निशान दिए गए। दिये गये निशानों के मध्य मुरब्बा नम्बर 35 व 36 के किला नम्बर 21 से 25 के साथ मुरब्बा नम्बर 43 व 44 के किला नम्बर 1 से 5 में मौके पर खोला चल रहा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। इस प्रकार मुरब्बा नम्बर 35, 36 व 37 के चारों तरफ जरीब चला कर सीमाओं का ज्ञान उपस्थित खातेदारों व मौतबिरानों को करवाया गया। दिए गए निशानों से मुरब्बा नम्बर 35 व 36 के किला नम्बर 21 से 25 के खातेदार सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि दूसरे चक के पत्थर से जरीब चला कर निशान दिए जावें। यह कि इस प्रकार अप्रार्थीगण, श्रीमान् तहसीलदार (भू०अ०), श्रीगंगानगर द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा किए गए सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं हैं जिसके चलते मौका पर कमेटी द्वारा दिए गए निशानों पर पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकी। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमांकन का विवाद अभी भी विद्यमान है। विधिनुसार सीमा विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण श्रीमान् न्यायालय द्वारा निस्तारित किए जाने एवं पत्थरगढ़ी की निशानदेही दिए जाने के प्रावधान धारा 128, 110 व 111, राजरथान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमांकन के विवाद का सही निस्तारण तभी सम्भव है, यदि मुरब्बा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

42, 43 व 44 के उत्तर में स्थित मुरब्बा नम्बर क्रमशः 37, 36 व 35 को अलग करने वाली मुरब्बा लाईन पर पत्थरगढ़ी के निशान राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ श्रीमान् जी की उपस्थिति में दिए जाकर, मौके पर ही पत्थरगढ़ी करवाई जावे ताकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमांकन के विवाद का निस्तारण स्थायी रूप से हो सके। प्रार्थीगण के रकबा स्थित चक 8–ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 में किन्नू का बाग लगा हुआ है जिसे आवारा पशु आये दिन नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी अति शीघ्र प्रार्थीगण तारबन्दी करवाना चाहते हैं ताकि उनके बाग की फसल की सुरक्षा हो सके, लेकिन मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 के उत्तर में स्थित मुरब्बा नम्बर 37, 36 व 35 को अलग करने वाली मुरब्बा लाईन पर पत्थर उपलब्ध न होने के कारण सीमा से सम्बन्धित विवाद है जिसके चलते प्रार्थीगण अपने मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 की तारबन्दी नहीं करवा पा रहे और उनके बाग में लगे किन्नु के पौधों को आवारा पशुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रार्थना पत्र का निस्तारण अतिशीघ्र करवाया जाना आवश्यक है ।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 8–ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 42, 43 व 44 के उत्तर में स्थित मुरब्बा नम्बर 37, 36 व 35 को अलग करने वाली मुरब्बा लाईन पर पत्थरगढ़ी के निशान राजस्व अधिकारियों/शथ–साथ श्रीमान् जी की उपस्थिति में दिए जाकर, मौके पर ही पत्थरगढ़ी करवाई जाने का आदेश दिया जावे ताकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सीमांकन के विवाद का निस्तारण स्थायी रूप से हो सके।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार** प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 के कथन इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि अंकित खातों में विद्यमान है,. लेकिन वे समस्त खाते संयुक्त अविभाजित खाते हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के कथनों से कोई विरोध नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 के कथन स्वीकार नहीं है। मुरब्बा नम्बर 42, 43, 44 व मुरब्बा नम्बर 37, 36 व 35 के मध्य लाईन के संबंध में निशानदेही का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि इन मुरब्बों के सिमांकन हेतु मुरब्बा लाईन पर लगे पत्थर विद्यमान न हो। मुरब्बा नम्बर 43, 43, 44 तथा मुरब्बा नं. 37, 36, 35 अविभाजित खाते के हैं एवं प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य किसी सह–काश्तकार के द्वारा आज तक कभी कोई विवाद नहीं किया गया है। यहां यह भी निवेदन करना उचित होगा कि प्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण संख्या 1 की सगी बहन की बेटी तथा प्रार्थी संख्या 4 की पुत्री की बेटी है। वस्तुस्थिति इस प्रकार से है कि माह जून 2024 में अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा पैमाईश करवाये जाने का ज्ञान होने पर मौके पर प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर तहसील श्रीगंगानगर के अधिकारी/कर्मचारियों से आग्रह किया कि यदि पैमाईश व सीमांकन करना है तो उसके लिए पहले मुरब्बा लाईन पर लगे पत्थर से पैमाईश की जावे और यदि किसी कारण वश पत्थर उपलब्ध नहीं है, तो उससे आगे पीछे तथा चारों ओर के मुरब्बों में मुरब्बा लाईन पर लगे किसी एक पत्थर को आधार मानकर पैमाईश की जावे और इस पैमाईश के लिए केवल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का आवेदन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो भी हितबद्ध सह– काश्तकार है, उनके आवेदन अथवा सहमति पर ही सीमांकन और पैमाईश की जावे अन्यथा कोई भी सह – काश्तकार निष्कर्ष से व्यथित होकर आगे विधिक कार्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं जिससे वाद बाहुल्यताऐं उत्पन्न हो जायेगी। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 के कथन ज्ञान के अभाव में स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा किसी प्रकार की कोई कमेटी का गठन किया गया हो। वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि सीमांकन की कोई आवश्यकता ही नहीं है और यदि प्रार्थीगण सीमांकन चाहते है तो सर्वप्रथम उन्हें अविभाजित खाते का विभाजन करवाकर अपने पृथक् हिस्सा का निर्धारण करवाया जाना आवश्यक है और निर्धारण के उपरान्त ही यह सुनिश्चित होगा कि प्रार्थीगण के हिस्सा में कौन कौन से मुरब्बें का कौन कौन सा किला संयुक्त खाते में उनके हिस्सा के अनुसार आया है और इस विभाजन से पूर्व सीमांकन की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 के कथन भी स्वीकार नहीं है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 के कथन विधिक है, इसलिए जवाब की आवश्यकता नहीं है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 के कथन स्वीकार नहीं है। मुरब्बा नम्बर 42, 43, 44 के उत्तर में स्थित मुरब्बा नं. 37, 36, 35 को अलग करने वाली मुरब्बा लाईन पर पत्थरगढ़ी के निशान की कोई आवश्यकता नहीं है ।यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 के कथन स्वीकार नहीं है । मुरब्बा नम्बर 42, 43, 44 में लगे बाग पूर्णतः सुरक्षित है एवं किसी प्रकार के कोई आवारा पशु वहां पर नहीं विचरते हैं। वास्तव में अरसा दराज से इन मुरब्बों में अस्वीकृत खाला तथा रास्ता विद्यमान है, जो सुखाधिकार की श्रेणी में आता है और इस सुखाधिकार के लिए अप्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया हुआ है और उसी से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र काल्पनिकआधार बनाकर प्रश्नगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह भूमि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के पूर्वजों से चली आ रही है और आज तक कभी विवाद की स्थिति नहीं हुई है, लेकिन केवल मात्र पारिवारिक कारणों से प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के द्वारा पेश किया गया है एवं सर्वप्रथम प्रार्थीगण को यदि किसी प्रकार की सीमांकन से व्यथता है तो सर्वप्रथम उसे अविभाजित खाते का विभाजन करवाकर अपना पृथक् खाता निर्धारण करवाना चाहिए और उसके बाद ही सीमांकन का प्रश्न उत्पन्न होगा। अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र व्यय सहित खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की बहस प्रार्थना पत्र यह रही कि प्रार्थीगण की भूमि उत्तर दिशा में है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की भूमि के बाबत पत्थरगढी करे क्योंकि खातेदार सीमाज्ञान बाबत सहमत नहीं है। **वकील अप्रार्थीगण की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त खाता के खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि का विभाजन नहीं करवाया है। बिना खातेदारान के विभाजन के सीमाज्ञान अथवा पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। पहले प्रार्थीगण खाता विभाजन करवावे फिर पत्थरगढी करावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पिटीशन मेंटेबल नहीं है। इसलिए खारिज की जावे। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर धारा 110, 111 लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान/पत्थरगढी खाते के समस्त सहकाश्तकारान की सहमति से सम्पूर्ण खाते का ही होता है। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा खाते के समस्त सहकाश्तकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पक्षकारान के संयोजन के अभाव में न्यायालय स्वीकार करना न्यायोचित नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner